



प्राचीन भारत में पशु और मानव संस्कृति का विश्लेषण

पूजा रैकवारए आकृति कर्ण

अतिथि संकायए

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भोपाल

प्राक्कथन

जंगल आप के, नदी आप की, तालाब व झारने आप के। उपजाऊ भूमि आपकी, गुफाएं आपकी संरक्षित स्थल, अभ्यारण कुछ विशेष प्रजाति के लिए। तब हमारा अस्तित्व क्या है? यह प्रश्न चिन्ह मात्र नहीं है। कभी हकीकत पर गौर किया जाएं। तब हम अपने आस-पाल पालतू पशुओं को पाते हैं। जो हमारी दिनचर्या से असुरक्षित और रात-दिन अपने जीवन के लिए संघर्ष करते हैं और उस दशा में होने के कारण अनेक बार यह पशु मानव पर हमला भी कर देते हैं। यह वही पशु है जो मानव जीवन में कभी एक परिवार के सदस्य की तरह रहते थे। मानव के साथ वह भी उनके कार्यों में सहयोग किया करते थे। किन्तु आज के संदर्भ में मानव की दिनचर्या ऐसी हो गई है कि हम मात्र अपनी ही वकालत करते हैं। अपनी ही सुविधाओं व अधिकारों की बात हम करते हैं। जैसे यह धरती मानव जीवन के लिए ही शेष हो।

की वड़ . संवेदनाए गौ दानए निषेधए पशु संस्कृति।

प्रस्तावना

प्राचीन भारतीय संस्कृति में गौरवशाली परंपराओं का एक भाग पशु संस्कृति भी रहा है। जब मानवीय जीवन में पशुओं का स्थान एक परिवार के सदस्य की तरह होता था। किन्तु प्राचीन भारत में पशुओं के प्रति संवेदनशीलता का विचार जटिल भी था। जहाँ एक ओर धर्म और परंपराओं में पशुओं के महत्व और उनके प्रति दया के भाव को महत्व दिया जाता था। वहाँ दूसरी ओर बलिदानों और भोजन के लिए पशुओं का वध भी होता था। ऋग्वेद काल में गौ-हत्या पर प्रतिबंध था, लेकिन उत्तर वैदिक काल और अन्य समयों में विभिन्न पशुओं का मांसाहार में वृद्धि होती रही। अशोक काल में अहिंसा की नीति लागू हुई। जिससे पशुओं के प्रति और अधिक दया और सम्मान का भाव आया, जो कि आधुनिक पशु अधिकार की नींव रखता है।

शोध प्रश्न:

1^ए प्राचीन भारत में पशु व मानव यह संबंधों का अध्ययन।

2^एप्राचीन भारत में पशु सुरक्षा के नियमों का अध्ययन।

3^ए प्राचीन भारत में पशु संवेदना का अध्ययन।

प्राचीन भारत में पशु और मानव संस्कृति

प्राचीन भारत में प्रथम साहित्यिक स्रोतों की चर्चा की जाए। तब ऋग्वेद का नाम प्रकाश में आता है। ऋग्वेद का अध्ययन कर यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि ऋग्वेदिक काल से ही पशुओं को एक परिवार की तरह माना जाता था। उनके मकान वास्तुकला की योजना में एक हिस्सा पशुओं के लिए भी सुरक्षित होता था। ऋग्वेदिक कालीन भारतीय जन पशुओं से प्राप्त उत्पादों का उपयोग करते थे। किंतु उनके माँस को खाना निषेध था।¹ पशुओं से प्राप्त क्षीर, दही, घृत व मृत्यु उपरांत चमड़ा उपयोग योग्य तो है किंतु माँस नहीं।² इस हेतु ऋग्वेदिक काल में पूषा नामक देवता की परिकल्पना प्राप्त होती है। जिनको पशुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी और यह उम्मीद की गयी थी कि सभी पशुओं को संकट से बचाना पूषा देवता का कर्तव्य था। जो व्यक्ति गौमांस का भक्षण करता था। उसे कठोर दण्ड दिया जाता था। इस प्रकार के प्रतिबंध से यह प्रतीत होता है कि समाज में कुछ व्यक्ति पशुओं के प्रति हिंसात्मक थे व उनके माँस का सेवन किया करते थे। तब जनसंख्या के बढ़े भाग ने पशुओं के प्रति अपनी संवेदनशीलता को व्यक्त किया और पशु हिंसा का विरोध किया। तब इन कारणों से पशुओं के सुरक्षा के नियम बनाये गये।

1^ए ऋग्वेद ए 8/4/18

2^ए आपस्तम्ब धर्मसूत्र ए 1/5/17/32-36

महाकाव्य कालीन संस्कृति में भी पशु संवेदना की अभिव्यक्ति समाज के बहुल जनों से प्राप्त होती है। इस काल में गाय को दान में देना की परंपरा में तीव्रता देखने को प्राप्त होती है। जनमेजय द्वारा सर्प यज्ञ करने के अवसर पर व्यासदेव को अतिथि सत्कार में गाय का दान दिया था। गाय अथवा अन्य पशु का के दान देने का अर्थ यह नहीं होता था कि उनका भक्षण किया जाए। शांति पर्व में चर्चा प्राप्त होती है कि पशु का वध सत्पुरुषों का धर्म नहीं है।³ अनुशासन पर्व में चर्चा मिलती है कि पशु पुत्र समान होते हैं।⁴ जब द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों की परीक्षा ले रहे थे। तब पेड़ पर रखी चिड़िया मात्र एक खिलौना थी न कि जीवित चिड़िया। श्रीकृष्ण का अन्य नाम गोपाल भी है जो पशुओं के प्रति लगाव से उनके पालन पोषण से प्रसिद्ध हुआ। जो ध्यान देने योग्य है कि एक इतना शक्तिशाली व्यक्ति व राजा जिनके पास किसी वस्तु की कमी नहीं। किंतु उनके द्वारा स्वयं से

¹ ऋग्वेद ए 8/4/18

² आपस्तम्ब धर्मसूत्र ए 1/5/17/32-36

³ महाभारत शांति पर्व ए 337/14-5

⁴ महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 114 तथा 117

पशुपालन करना व कृषि कार्य करना । आज भी मानव चरित्र व संस्कृति का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। जैन एवं बौद्ध दुर्शन में भी पशुओं पर अत्याचार की कढ़ी निंदा की गयी है।

महात्मा बुद्ध द्वारा अपने चर्चेरे भाई देवदत्त के शिकार से घायल हंस के लिए न्यायालय तक में चुनौति दी। उत्तराध्ययन सूत्र में अरिष्टनेमि की कथा आती है कि जब वे अपनी बारात लेकर जा रहे होते हैं तो पशुओं की दर्द भरी आवाज को सुनकर प्रश्न करते हैं। तब उनको ज्ञात होता है कि पशु बारातियों को खिलाने के लिए पशुओं को काटा जा रहा है तो उनके मन में संसार की मोह माया त्याग कर वैराग्य उत्पन्न हो जाता है।⁵

3^ए महाभारत शांति पर्व 337^ध14.5

4^ए महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 114 तथा 117

5^ए उत्तराध्ययन सूत्र 22^ध14

बौद्ध धर्म में वर्षा के काल में यात्रा को निषेध किया गया था। क्योंकि इस समय प्रकृति में नये जीवों का जन्म होता है और यात्रा करने से यह जीव पैरों में आकर नष्ट हो सकते हैं। इसको बौद्ध धर्म में वर्षावास कहा गया है।⁶ जो जीवों की सुरक्षा के प्रति सजगता को व्यक्त करता है। मौर्य काल में अशोक द्वारा वृहत स्तर पर मानव के साथ पशु कल्याण पर पर भी कार्य किए गये थे।

जिनके उदाहरण अशोक के जीवंत शिलालेखों से प्राप्त होते हैं। अशोक द्वारा राजकीय पाकशाला में हजारों पशुओं को खाने के लिए मारा जाता था। जिस पर अशोक ने प्रतिबंध लगाया और मात्र दो मोर और एक हिरण को ही ही मारा जाएगा। इनको भी भविष्य में बंद करवा दिया जाएगा।⁷

अशोक ने मानव के साथ-साथ पशुओं के लिए भी अस्पताल बनवाये। राजपथ पर जगह जगह पशुओं के लिए विश्रामगृह, पानी की सुविधा उपलब्ध करायी।⁸ अशोक ने आदेश जारी किया कि जो पशु किसी कार्य के योग्य नहीं उन्हें भी नहीं खाया जा सकता था और जिस स्थान पर जीव रहते हैं उस चारे को जलाया नहीं जा सकता था।⁹ हाथी को मारने पर मृत्युदण्ड दिया जाता था। ऐसी जानकारी के माध्यम अशोक के शिलालेख हैं जो राज्य में स्वतंत्र व पारदर्शिता से उकेरे गए थे ताकि जनता भी उन नैतिक नियमों को आत्मसात कर सकें और गुमराह होने से बचें। इस प्रकार से कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में जंगलों अथवा अरण्य की सुरक्षा की बात की है कौटिल्य के अनुसार राजा का यह धर्म होता है कि एक ऐसे जंगल का विकास करें जिसमें जानवरों का संरक्षण किया जा सके। अभ्यारण्य में तरह-तरह के जानवरों के संरक्षण की भी बात कौटिल्य ने कि, जिसमें हाथी जैसे बड़े जानवरों के संरक्षण के साथ अन्य छोटे जानवरों का भी संरक्षण किया जा सके। अभ्यारण्य शब्द का अर्थ ही ऐसा किसी भय के

⁵ पाण्डुसंग वामन काणे संस्थान एधर्मशास्त्र का इतिहास भाग- 1-3 (हिन्दी अनुवाद), उ.प्र. हिन्दी

⁶ जायसवाल, मंजुला जैन, लखनऊ, 1992 वाल्मीकियुगीन भारत, महामती प्रकाशन, इलाहाबाद, 1983

⁷ सिंह, परमानन्द, बौद्ध साहित्य में भारतीय समाज ए हलधर प्रकाशन वाराणसी, 1996

⁸ शास्त्री, नीलकण्ठ, नन्द मौर्यगुप्त भारत, दिल्ली, 1969

⁹ Sastri, K.A.N.A History of South India, Oxford Press, Madras, 1968

अर्थशास्त्र में भी जानवरों को मारने पर जुर्माना लगाने की भी बात कही है। जानवरों को मारने वालों के लिए तम्हतरह के जानवरों को मारने पर अलग अलग अर्थदंड शुल्कद्वं की व्यवस्था थी।¹⁰ ठीक उसी तरह फूलदार फलदार वृक्षों व छायादार वृक्षों की कटाई पर अर्थदंड लगाने का प्रावधान था। जिसके कारण रहवासी इलाकों में पेड़पौधे व वृक्षों का संरक्षण करना स्वाभाविक रूप से होता था। इसी तरह कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वृक्षों को काटने व नुकसान पहुँचाने पर आर्थिक दण्ड का प्रावधान था। फलफूलदार एवं छायादार वृक्ष की कटाई पर छः दण्ड का जुर्माना लगाया जाता था। इस तरह से धार्मिक स्थलीए धार्मिक जंगलों की एवं विश्राम घाट के वृक्षों की कटाई पर आर्थिक दण्ड का प्रावधान था। इन सभी के माध्यम से वन संपदा एवं वन जीवों का संरक्षण स्वाभाविक रूप से होने लगा।

६४बौद्ध ग्रंथए विनय पिटकए महावीरए कंडक.३

७४ बीण एमण बरुआए अशोक एडिक्ट्स इन न्यू लाइटए१९२६ए कलकत्ताएअशोक का प्त शिलालेख

८४ बीण एमण बरुआए अशोक एडिक्ट्स इन न्यू लाइटए१९२६ए कलकत्ता एअशोक का प्त शिलालेख

९४ बीण एमण बरुआए अशोक एडिक्ट्स इन न्यू लाइटए१९२६ए कलकत्ताएअशोक का प्त शिलालेख

१०४कौटिल्य, अर्थशास्त्र, अधिकरण २, अध्याय २४, सीताध्यक्ष प्रकरण

आज के संदर्भ में पशु संस्कृति की प्रासंगिकता प्रकृति में पशु जैवविविधता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। साथ ही इनके कार्यों से मानव को आर्थिक लाभ प्राप्त हुए हैं। किन्तु पशुओं ने हमेशा ही पर्यावरण की सेवा की है। मृत जानवरों को खाना जिससे धरती पर सड़न न हो। जमीन की रूपई गुडाई में सहयोग कर जमीन को नर्म करना खेती योग्य करना। एक स्थान से दूसरे स्थान पर बीज ले जाना। किन्तु इससे बड़ी सेवा पशुओं ने मानव सभ्यता की है। चाहे वो किसान का बैल होए वजन ढोता गधा हो खच्चर होए युद्ध में शामिल हाथी हो घोड़ा हो अथवा कोल्हू का बैल हो। निरंतर मानव के साथ श्रम किया है। किन्तु आज के समय की बात की जाएं तो हम पाते हैं कि हमने जंगल काटकर पशुओं के आवास मिटाकर बड़े बड़े शहर तो बना दिए हैं लेकिन पशुओं के लिए रहना का एक भी स्थान नहीं है। न उनके पास पीने योग्य पानी है न कोई प्रकृति प्रदत्त खाना जो उनकी सेहत का पोषण करें। वो लगातार हमारी अनदेखी का परिणाम का भुगतान कर रहे हैं और ज्यादा मानसिक रूप से अवसाद में आकर मानव को चोटिल कर रहे हैं व दिन प्रतिदिन मानव पशु दुर्घटना बढ़ती जा रही हैं और हम उनके प्रति संवेदनशील न होकर और ज्यादा कूरता से पेश आ रहे हैं। आज हमें आवश्यकता है ऐसे नियोजित विकास की ऐसे नियोजित नगरीकरण की जो पर्यावरण का संवर्धन कर सकें। जिसमें पशु और मानव दोनों का ही सह अस्तित्व है।

निष्कर्ष

उपरोक्त शोध अध्ययन से ज्ञात होता है कि प्राचीन भारत में पशुओं के प्रति संवेदनशीलता एक मिश्रित भावना थी, जहाँ एक ओर आर्थिक और धार्मिक कारणों से पशु-पालन और उपयोग किया जाता था। वहीं दूसरी ओर अशोक जैसे शासकों के प्रभाव और धार्मिक विचारों के कारण उनके प्रति करुणा और सुरक्षा का भाव भी बढ़ता गया। सम्राट अशोक के शासनकाल में अहिंसा को राज्य की नीति बनाया गया था, जिससे पशुओं के प्रति कूरता पर अंकुश लगा। अशोक के शासन में कुछ पशुओं जैसे गर्भवती, दूध देने वाली बकरियों, भेड़ों, सूअरों और छह महीने तक के बच्चों के वध पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस काल में पशुओं के स्वास्थ्य और उनकी देखभाल के लिए भी महत्वपूर्ण प्रयास किए गए।

¹⁰ कुमार अजय, प्राचीन भारत में मांसाहार नियम एवं निषेध, vol IX, 2024

संदर्भ सूची

1प्र ऋग्वेदाए 8४४१८

2प्र आपस्तम्ब धर्मसूत्राए १५१७३२.३६

3प्र महाभारताए शांति पर्वाए ३३७४१४.५

4प्रमहाभारताए अनुशासन पर्व अध्याय ११४ तथा ११७

5प्राणडुरंगाए वामन काणे संस्थानाधर्मशास्त्र का इतिहास भाग- 1-३ (हिन्दी अनुवाद), उ.प्र. हिन्दी

6ज्ञायसवाल, मंजुला जैनएलखनऊ, 1992 वाल्मीकियुगीन भारत, महामती प्रकाशन, इलाहाबाद, 1983

7प्रसिंह, परमानन्द एबौद्ध साहित्य में भारतीय समाजाए हलधर प्रकाशनाए वाराणसीए 1996

8प्रशास्त्री, नीलकण्ठ, नन्द मौर्ययुगीन भारताए दिल्लीए 1969

9प्रैजतपाए KJANP | भैजवतल वैवनजी पदकपाए वावितक च्चमेए डंकतोए 1968

10प्रकुमार अजयएप्राचीन भारत में मांसाहार नियम एवं निषेधएअवस पए2024

11प्र बीए एमण बरुआए अशोक एडिक्ट्स इन न्यू लाइटए1926एकलकत्ता

